

कुरे विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में
 पैसा छिये गये हैं, जो मंगे के विपरि है।
 अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि दिनांक
 ३१/०७/२०२५ की कुरे रिपोर्ट आपत्ति को लीक
 करने की कृपा करें तथा पक्षकारों की उपस्थिति
 में कल्या काबल के अनुसार बंधवारा कले
 के आदिवा प्रदान करें।

अपार्क वकील की ओर से कथन
 रहे कि दिनांक १५/०५/२०२५ की रिपोर्ट पर
 आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। तथा दिनांक १५.०५.२५
 कुरे रिपोर्ट को आंशिक लीक कर क्र. नं.
 ३४५२, ३४५६ पर पुनः कुरे विभाजन प्रस्ताव
 प्राप्त हुए हैं। परिवर्ती संख्या ३ तपना है, फौत
 नहीं हुआ है। जब तक सिविल न्यायालय से फौत
 की घोषणा नहीं हो जाती है तब कुरे को हिल्ला
 रखा। पूर्व में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उसमें
 बाहिल्ला बराबर था। पूर्व में इन्होंने अर्धी-
 अर्धी आराजी का बंधवारा करवा लिया था
 जिसके कारण आपत्ति दर्ज करवाई गई थी।
 वर्तमान रिपोर्ट, जो दिनांक ०३/०७/२०२५ को पैसा
 की गई है। वह पक्षकारान की उपस्थिति में तथा
 "बार्ड मीटिंग एंड गारड" के आधार पर बार्ड
 गई है। वार्ड का मकसद अर्धी- अर्धी जमीन
 को ससक के डिनारी पर लेना है। अतः श्रीमान
 जी से निवेदन है कि वर्तमान कुरे रिपोर्ट
 दिनांक ०३/०७/२०२५ को अन्तिम डिक्ली किया
 जावे।

हमने बहल को पुनः उपलब्ध किंगडि
 का संकलन किया। बहल पर मनन किया तो
 पाया कि वार्ड पत्र के मस संख्या २ में
 वार्डिंग आराजी खसरा नम्बरान, १५१५, १५१६,

उपखण्ड अधिकारी
 नरबर्द (भरतपुर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

1568, 1569, 1570, 1571 वाले कब्जा नदबई
प्रथम के कुरी विभाजन प्रस्ताव पूर्व में स्वीकार
किये जा चुके हैं। खसरा नम्बरान 8852, 3856
वाले कब्जा नदबई द्वितीय के कुरी विभाजन
प्रस्ताव बाबू आपत्ति पुनः दिनांक 03/07/2024
को प्राप्त हो चुके हैं। परिवारी कूर पुन
श्री जीरी प्रति सं 3 लापता है। इसलिए
दस्ता पुराहित खना कार्रना हित में है।
एवं कुरी विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2024
मुताबिक कब्जा पत्रकारान की उपस्थिति में
तैयार किये हैं। कुरी विभाजन प्रस्ताव "बाई
मीटिंग एंड 01305" अर्थात् अर्धी में से अर्धी
बुरी में से बुरी आराजी में से हिलेनुसार
एवं नियमनुसार तैयार किये गये हैं। अतः
वादी आपत्ति कुरी विभाजन प्रस्ताव विद्
कुरी में अक्षुब्ध रहा। अतः वादी द्वारा
प्रस्तुत आपत्ति कुरी विभाजन प्रस्ताव को
खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार
नदबई के पत्रांक 2634 दिनांक 03/07/2024
द्वारा भिजवाये कुरी विभाजन प्रस्ताव को
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के
पत्रांक 1674 दिनांक 14/07/2024 एवं के द्वारा कुल
आराजी खसरा नम्बरान 1415, 1416, 1568, 1569,
1570, 1571 वाले कब्जा नदबई प्रथम में एवं पत्रांक
2634 दिनांक 03/07/2024 के द्वारा भिजवाये
गये कुरी विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक दावा
पिंडी पुरा जाता है। मौख फर्मा आन्तिम एवं डिक्ली
पृष्ठ ले जारी हो। निर्णय पृष्ठ से लिखवाया गया
पत्रावली कुल कुमाए 1054 नम्बर से
कुम की जाकर दाखल पत्रांक है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)